संख्या-499/2023/2983/001-41-2023-11-Ji Yo-2023

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 11 जुलाई, 2023**

विषय:- जिला योजनान्तर्गत जनपद महराजगंज के सिसवां बाजार के ग्राम- बडहैरा महंत स्थित जगन्नाथ भगवान स्थल का पर्यटन विकास हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1838/7-1-1/जि0यो0/द्वितीय किश्त यू0सी0/2023, दिनांक 23.06.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. जिला योजनान्तर्गत जनपद महराजगंज के सिसवां बाजार के ग्राम- बडहैरा महंत स्थित जगन्नाथ भगवान स्थल का पर्यटन विकास हेतु चयनित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित की गयी लागत के सापेक्ष योजना की प्रशासकीय एवं अवमुक्त वित्तीय स्वीकृति की धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	वित्तीय वर्ष	शासनादेश संख्या व दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति	अवमुक्त धनराशि
1	2022-23	134/2023/428/001-11-JIYO/2023, दिनांक 25 फरवरी, 2023	42.53+ जी0एस0टी0 (वास्तवित भुगतान के आधार पर)	30.00
कुल अवमुक्त धनराशि				**30.00**

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महानिदेशक, पर्यटन से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रश्नगत प्रायोजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 11.70 लाख (रू0 ग्यारह लाख सत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 25.02.2023 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक),अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2 /2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि कार्यदायी संस्था को नहीं उपलब्ध करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2 /2023**/**बी-1-227**/**दस-2023-231/2023**,** दिनांक-17 मार्च**,** 2023 का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत करने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजना में धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्थाएवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये (तिथि सहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 11,70,000 (रू0 ग्यारह लाख सत्तर हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 5452801040900 पर्यटन स्थलों का विकास (जिला योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2 /2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, महराजगंज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा पर्यटन मंत्री, उ0 प्र0।
4. निदेशक, पर्यटन, उ0 प्र0, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, महराजगंज।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ ।
8. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. उप निदेशक, पर्यटन (जिला योजना) निदेशालय, को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-4, 5, 6, 7, 8, 10 व 11 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
10. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, गोरखपुर/ मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर।
11. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, यूनिट-29, गोरखपुर।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
1. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।